संख्या-129/2020/360/22-2-2020-17(124)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूलन सिंह पुत्र श्री समरपर मानिक निवासी जनपद-पुरमाल (प0 बंगाल) की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6069/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-02-2020) दिनांक-27-02-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी फूलन सिंह पुत्र श्री समरपर मानिक जो ग्राम-वरसिंडा, थाना-करिया, जनपद-पुरमाल (प0 बंगाल) का रहने वाला है। बन्दी (अरविन्द के नौकर) ने दिनांक 04.01.2004 को समय सायं लगभग 04:15 बजे ओमपाल व अरविन्द के घर में हुक्का पी रहे बलजौर नामक व्यक्ति की बालकटी से हमला कर घायल कर दिया जिससे अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-207/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बागपत के आदेश दिनांक 10.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2011द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 19.12.2019 तक 15 वर्ष 11 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 05 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने की श्रेणी में आता है, रिहा होने पर अपराध करने व फरार होने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी का मूल निवास ग्राम-वरसिंडा थाना-करिया जिला पुरमाल (प0 बंगाल) हाल पता ग्राम-बालम थाना-कुन्चई जनपद-सरगईया प0बंगाल की आख्या अपेक्षित होने तथा बन्दी की रिहाई की दशा में नियन्त्रण का अभाव होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.01.2004 को ओमपाल व अरविन्द के घर में हुक्का पी रहे बलजौर नामक व्यक्ति की बालकटी से हमला कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होकर समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, बन्दी के रिहा होने पर फारार होने की सम्भावना होने, बन्दी के क्रूर प्रवृत्ति का होने, बाहर आने पर पुन: अपराध कारित करने व फरार होने की पूर्ण सम्भावना होने का अंकन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फूलन सिंह पुत्र श्री समरपर मानिक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा रिट याचिका (कि0) डायरी सं0-23567/2019 फूलन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.1019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी फूलन सिंह (बन्दी संख्या-10779) पुत्र समरपर मानिक निवासी जनपद-पुरमाल (प0 बंगाल) के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-129/2020/360(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-129/2020/360/22-2-2020-17(124)/2020

दिनांक 30 मार्च, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूलन सिंह (बन्दी संख्या-10779) पुत्र श्री समरपर मानिक जो ग्राम-वरसिंडा, थाना-करिया, जनपद-पुरमाल (प0 बंगाल) का रहने वाला है। बन्दी (अरविन्द के नौकर) ने दिनांक 04.01.2004 को समय सायं लगभग 04:15 बजे ओमपाल व अरविन्द के घर में हुक्का पी रहे बलजौर नामक व्यक्ति की बालकटी से हमला कर घायल कर दिया जिससे अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-207/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बागपत के आदेश दिनांक 10.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2011द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 19.12.2019 तक 15 वर्ष 11 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 05 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने की श्रेणी में आता है, रिहा होने पर अपराध करने व फरार होने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी का मूल निवास ग्राम-वरसिंडा थाना-करिया जिला पुरमाल (प0 बंगाल) हाल पता ग्राम-बालम थाना-कुन्चई जनपद-सरगईया प0बंगाल की आख्या अपेक्षित होने तथा बन्दी की रिहाई की दशा में नियन्त्रण का अभाव होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.01.2004 को ओमपाल व अरविन्द के घर में हुक्का पी रहे बलजौर नामक व्यक्ति की बालकटी से हमला कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होकर समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, बन्दी के रिहा होने पर फारार होने की सम्भावना होने, बन्दी के क्रूर प्रवृत्ति का होने, बाहर आने पर पुन: अपराध कारित करने व फरार होने की पूर्ण सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फूलन सिंह पुत्र श्री समरपर मानिक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in